

बिहार सरकार,
पर्यावरण एवं वन विभाग,
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खॉ मार्ग, पटना-800 014

संख्या- FC-417

प्रेषक,

ए० के० पाण्डेय, भा० व० से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

विद्युत कार्यपालक अभियन्ता (परियोजना),
विद्युत परियोजना प्रमंडल, नालंदा।

पटना, दिनांक— 30/05/2019

- विषय — नालंदा जिलान्तर्गत 33 KV रामचन्द्रपुर-मेधी नगवन तथा रामचन्द्रपुरा-चाँदपुर-पी०एस०एस० ट्रांमिशन लाईन निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 2.3925 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तों के आलोक में बौनी प्रजाति के पौधों के रोपण की राशि उपलब्ध कराने के संबंध में।
- प्रसंग — इस कार्यालय का पत्रांक FC-303 दिनांक 10.04.2019 एवं वन संरक्षक पटना डायरेक्टर का पत्रांक 851 दिनांक 29/4/19 (छायाप्रति संलग्न) तथा आपका कार्यालय पत्रांक 513 दिनांक 27.05.2019 ,

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि इस कार्यालय के पत्रांक FC-303 दिनांक 10.04.2019 द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के आलोक में NPV एवं क्षतिपूरक वनरोपण से संबंधित कुल प्राक्कलित राशि रु० 30,78,766/- मात्र को कैम्पा लेखा में e-challan generate कर जमा करा दी गयी है।

2. इस कार्यालय के पत्रांक FC-303 दिनांक 10.04.2019 में अंकित शर्त संख्या-(viii) के आलोक में वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालंदा द्वारा पारेषण लाईन के नीचे बौनी प्रजाति के पौधों के रोपण हेतु रु० 6,92,490/- मात्र का प्राक्कलन तैयार किया गया है।

3. उपर्युक्त कुल राशि रु० 6,92,490/- (रुपये छः लाख बानवें हजार चार सौ नब्बे) मात्र का मंत्रालय के वेब-साइट parivesh.nic.in से e-challan generate कर Bihar CAMPA के account में online Mode द्वारा फंड ट्रांसफर कर राशि जमा कराया जायेगा। एवं जमा की गयी राशि की सूचना हेतु इस कार्यालय को संबंधित बैंक द्वारा प्रदत्त UTR No. एवं दिनांक की मूलप्रति दी जाय।

4. उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रसंगाधीन पत्र में उल्लेखित कंडिका 1 से 19 में अधिरोपित शर्तों का संशोधित अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को यथाशीघ्र समर्पित करने की कृपा ताकि विषयाधीन मामले पर अंतिम स्वीकृति प्रदान की जा सके।

अनु०—यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(ए० के० पाण्डेय)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),